फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

जगदीश प्रसाद बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया वगैरा

मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 15 /2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इरा हुक्म की तामील में जारी हुक्म
04	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थी जगदीश प्रसाद निवासी वार्ड नम्बर 9 दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ने इस आशय का पेश किया कि चक 16 एफटीपी की ज.स. 2073–76, टिब्बी तहसील चक 3 डीपीएम ज.स. 2075–2078, 2 डीपीएम ज.स. 2075–78 मे प्रार्थी का नाम जगदीश एव प्रार्थी की माता का बागोदेवी, बोगादेवी, बोगोदेवी अवस्थित है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में जगदीश के स्थान पर जगदीश प्रसाद एवं माता के नाम बागोदेवी, बोगादेवी, बोगोदेवी के स्थान पर बोगी देवी पत्नी स्व. श्री हरिराम शुद्व करवाने का निवेदन किया। जबकि प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता का नाम मतदाता सूची, आधार कार्ड, जन–आधार–कार्ड आदि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में जगदीश प्रसाद पुत्र हरिराम व बोगी देवी पत्नी हरिराम दर्ज है का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि् होनी पाई जाती है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चक 16 एफटीपी की ज.स. 2073–76, टिब्बी तहसील चक 3 डीपीएम ज.स. 2075–2078, 2 डीपीएम ज.स. 2075–78 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्राथी के गलत नाम प्रार्थी का नाम जगदीश एव प्रार्थी की माता का बागोदेवी, बोगादेवी, बोगोदेवी के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र हरिराम व बोगी देवी पत्नी हरिराम शुद्व किया जावें। तदनुसार तहसीलदार हेतु तहसील संगरिया/टिब्बी को लिखा जाकर पालना करवाई जावें। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। मिसल फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official